भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5315
दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

केरल में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन को रोकना

5315. एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन अपर्याप्त निधि के कारण रोक दिया गया है;
(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए निधि जारी करने हेतु केरल राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) केरल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के पूरा होने की वर्तमान स्थिति क्या है तथा आज की तिथि तक पूरा किए गए कार्यों का प्रतिशत और जारी की गई तथा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों के पूरा होने तथा निधि के उपयोग में केरल राष्ट्रीय औसत से पीछे है;
(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने केरल राज्य सरकार को कार्यों में तेजी लाने के लिए कोई निदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या केरल राज्य सरकार ने परियोजना की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है/लिये जाने की संभावना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (च): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल कार्यान्वित कर रही है ताकि कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से केरल राज्य के ग्रामीण परिवारों सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु पीने योग्य जल का प्रावधान किया जा सके।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 31.03.2025 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत लगभग 12.34 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 31.03.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.57 करोड़ (80.38%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल की आपूर्ति होने की सूचना है।

इसी तरह, केरल में, मिशन की शुरुआत में, केवल 16.64 लाख (23.51%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 31.03.2025 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत लगभग 21.92 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 31.03.2025 तक, राज्य के 70.77 लाख ग्रामीण परिवारों में से 38.56 लाख (54.48%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल की आपूर्ति होने की सूचना है।

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों में विभिन्न स्तरों पर अनेक परियोजनाएं साथ-साथ कार्यान्वित की जाती हैं। अत: ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों के परियोजना-वार ब्यौरे भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। केन्द्रीय आबंटित निधि, आहरित निधि और केरल राज्य द्वारा सूचित उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	केंद्रीय					राज्य के हिस्से के अंतर्गत व्यय
	अथ शेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	सूचित उपयोग	
2019-20	2.58	248.76	101.29	103.87	62.69	57.23
2020-21	41.18	404.24	303.18	344.36	304.29	311.25
2021-22	40.07	1,804.59	1,353.44	1,393.51	957.44	1,059.57
2022-23	436.08	2,206.54	2,206.54	2,642.62	1,741.93	1,741.68
2023-24	900.69	1,342.36	671.18	1,571.87	1,465.41	1,448.53
2024-25	106.45	1,949.36	974.68	1,081.13	996.49	982.74

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

इसके अलावा, मिशन के निरंतर कार्यान्वयन के माध्यम से 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान वर्धित कुल परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है।

केरल सहित पूरे देश में जल जीवन मिशन की योजना बनाने और उसे तेजी से कार्यान्वित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ,* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यपरिपूर्णता योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) पर संयुक्त विचार-विमर्श करना और उनको अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा करना, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक दल द्वारा क्षेत्र दौरे, आदि शामिल हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्यसंबधी दिशानिर्देश; ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका तथा जल जीवन मिशन की आयोजना और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं तथा स्कूलों में पाइपगत जल की आपूर्ति प्रदान करने हेतु एक विशेष अभियान के संबंध में दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं। ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड स्थापित किए गए हैं। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन के लिए भी प्रावधान किया गया है।

*****